भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1753

दिनांक 02 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

1753. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन डेयरी और मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि नामक निधि शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि से डेयरी सहकारिता के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि हेतु आसान ऋण प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) जी, हां। पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार ने दूध प्रसंस्करण संयंत्रों तथा मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने वाली सुविधाओं के सृजन तथा सुदृढ़ीकरण और डेयरी सहकारिताओं के पुराने दूध प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 21.12.2017 को डेयरी प्रसंस्करण तथा अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) प्रारंभ की है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान इसके कार्यान्वयन हेतु योजना परिव्यय 10881 करोड़ रुपए है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) डीआईडीएफ के अंतर्गत, इस योजना के मानकों के अनुरूप दूध प्रसंस्करण क्षमता, मूल्य संवर्धित उत्पाद प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए पात्र डेयरी सहकारिताओं को 6.5% रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास 8004 करोड़ रुपए की कायिक निधि स्थापित की गई है। डीएएचडी ब्याज दरों को कम करने के लिए नाबार्ड को 2% की दर पर ब्याज सहायता प्रदान करता है।

(घ) घटकों तथा उनके परिव्यय का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

संघ के बजट 2017-18 की घोषणा के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ 8004 करोड़ रुपए की कायिक निधि के रूप में डीआईडीएफ स्थापित किया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 12.9.2017 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को 10881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित कर दिया है। 10881 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय में से 8004 करोड़ रुपए नाबार्ड से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)/राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) को ऋण होगा, 2001 करोड़ रुपए अंतिम धारकर्ताओं (ईबी) का योगदान होगा, 12 करोड़ रुपए एनडीडीबी/एनसीडीसी का हिस्सा होगा तथा ब्याज सहायता के लिए 864 करोड़ रुपए (2% प्रति वर्ष की दर पर) पशुपालन एवं डेयरी विभाग का योगदान होगा।

2. इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर प्रसंस्करण और प्रशीतन अवसंरचना स्थापित करके और इलैक्ट्रॉनिक दूध अपमिश्रण परीक्षण उपकरण लगा कर प्रभावी दूध खरीद प्रणाली तैयार करना है।

3. इस योजना की मुख्य विशिष्टताएं हैं:

i. 50,000 गांवों को कवर करने से 95 लाख दूध उत्पादकों को लाभ होगा।
ii. 140 लाख लीटर प्रति दिन की अतिरिक्त दूध प्रशीतन क्षमता के साथ 28000 बल्क दूध कूलरों को लगाना।
iii. दूध में अपमिश्रण की जांच हेतु 28000 दूध परीक्षण उपकरण प्रदान करना।
iv. 210 मीट्रिक टन प्रति दिन की अतिरिक्त दूध शुष्कन क्षमता का सृजित करना।
v. 126 लाख लीटर प्रति दिन की दूध प्रसंस्करण क्षमता का आधुनिकीकरण, विस्तार तथा सृजन।
vi. दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाने के लिए मूल्य वर्धित दूध उत्पादों के लिए 59.78 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता हेतु अवसंरचना का सृजन।

निधियन का घटक-वार स्रोत:

क्र.स.	घटक	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)				
		नाबार्ड ऋण	ईबी का योगदान	एनडीडीबी का योगदान	एनसीडीसी का योगदान	कुल परिव्यय
क	नई दूध प्रसंस्करण सुविधाओं तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों हेतु सुविधाओं का आधुनिकीकरण और सृजन (निधियों का हिस्सा)	5577 (80%)	1395 (20%)	0	0	6972
ख	प्रशीतन अवसंरचना	2063 (80%)	515 (20%)	0	0	2578
ग	इलैक्ट्रॉनिक दूध अपमिश्रण परीक्षण उपकरण	364 (80%)	91 (20%)	0	0	455
घ	परियोजना प्रबंधन और ज्ञान	0	0	6 (50%)	6 (50%)	12
	कुल	8004	2001	6	6	10017
	डीएएचडी, भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता					864 (100%)
	ब्याज सहायता राशि सहित कुल परियोजना लागत					**10881**